उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

(2)

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 02/2019–20

बसंत कुमार झा एवं अन्य.....आवेदक

बनाम

गुलाब झा एवं अन्य.....विपक्षी

आदेश

21.12.2021

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0–318/11–12 में पारित आदेश दिनांक–16.12.2013 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. मौजा खोजवा के दाग सं0–265, 296 एवं 305 में विपक्षी द्वारा फर्जी बन्दोबस्ती पट्टा के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में सीमांकन करवाया गया है
2. दाग सं0–265 जमाबंदी 4 का रैयती जमीन है तथा दाग सं0–296 पर शिव मंदिर है जिसका आम लोगो द्वारा उपयोग किया जाता है।
3. विपक्षी को मिली पट्टा जाली एवं फर्जी है ।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के सीमांकन आदेश को रद् किया जाय।

अमीन प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है:–

1. दाग सं0–305 रकवा 72 डी0 एवं 296 रकवा 64 डी0 गत सर्वे खतियान में परती कदीम दर्ज है।
2. दाग सं0–265 रकवा 6 डी0 धानी सेम जमाबंदी 4 का रैयती जमीन है।
3. विपक्षी को दाग सं0–305 में 42 डी0 प्रधान द्वारा पट्टा बन्दोस्ती मिला है तथा दाग सं0–296 रकवा 64 डी0 जमीन की बन्दोबस्ती अंचल अधिकारी, सरैयाहाट से प्राप्त है।
4. दाग सं0–296 में शिव मंदिर भी अवस्थित है। विपक्षी जिसका पुजारी है।

अमीन द्वारा प्रश्नगत जमीन विपक्षी के पक्ष में सीमांकन हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इन दागो की सीमांकन संपुष्ट नहीं किया गया है।

(4)

प्रावधान

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा–27 :–

Sec-27. Settlement of waste land to be made by patta in prescribed form Settlement of waste land shall be made by a patta or amalnama in the prescribed from. The patta or amalnama shall be prepared in quadruplicate, one copy shall be given to the raiyat concerned, one copy shall be sent to the landlord and the fourth shall be retained by the village headman or mulraiyat, as the case may be.

निष्कर्ष

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रधानी मौजा में प्रधान को परती कदीम जमीन की पट्टा द्वारा बन्दोबस्ती करने का शक्ति प्रदत्त है। रैयती जमीन का बन्दोबस्ती करने का प्रधान को शक्ति प्रदत्त नहीं है साथ ही अंचल अधिकारी को परती जमीन की बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा करने की शक्ति प्रदत्त है। इस आधार पर दोनो ही बन्दोबस्ती न्याय संगत प्रतीत नहीं होती है। दाग सं0–296 पर शिव मंदिर अवस्थित है, उक्त जमीन का उपयोग आम आदमी द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसे भी बन्दोबस्ती किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। जिसे विलोपित किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी को इस निदेश के साथ पुनर्विचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस पर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा 16 आना रैयतों को विधिवत नौटिस निर्गत कर नैसर्गिक आदेश पारित किया जाय।

5/3/22

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 13:59:56 +05:30
Location: 169.254.227.244